

E-Newsletter, Issued in Public Interest रेफरेंस संख्या -2022/kdgl/07

जेके लक्ष्मी सीमेंट की कारगुजारी, 5 लाख टन मेसनेरी स्टोन का किया अवैध निर्गमन!!!

50 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का लगाया चुना!!!





स्क्रीन रिजेक्ट भी एल एण्ड टी कम्पनी को रेल्वे प्रोजेक्ट्स की फिलिंग के काम के लिए अवैध रूप से बेचा!!! मामले की खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और एसीएस डॉ सुबोध अग्रवाल को की गयी शिकायत!! मंत्री महोदय ने दिये जांच के आदेश!!!

MINISTER BHAYA ORDERS PROBE AGAINST JK LAKSHMI CEMEN ALLEGED SCAM WORTH CRORES IS 'DUG OUT' BY

IT SEEMS MINES MINISTER PRAMOD JAIN BHAYA AND ACS DR SUBODH AGARWAL WILL TAKE CONCRETE ACTION AGAINST THE COMPANY IN THIS MATTER NOW

Jaipur: In what can be termed as a case of manipulative practice, a case of selling 5 lakh tonnes of masonry stone by JK Lakshmi Cement Limited under the guise of crusher reject, by 'fooling ' the Mines Department has come to the fore. Not only this, the Mines Department has also re-

ceived complaints about screen rejects being released to L&T Company for the filing use of Railways. Due to this, not only has the department suffered a loss of crores, but the has also been disturbed.

ENTIRE MATTER Mining Lease No 10/1999 at Sirohi was al-

Limited and according to estimates, about 9 million tonnes of crusher reject is lying in overburden in the mining lease at Sirohi. In the years 2014-15 and 2015-16, 1.50 lakh tonnes of mineral masonry stone was released by the company from mining lease to M/S Hitech Rock Products and Aggregates Limited Company. For this, the company received STP by Mineral Engineer, Siro-hi. But the complaint was received that in the said while the company claimed that the prod-



NO COMMENTS BY THE FIRM YET

Meanwhile, even after 5 days having passed, the JK Lakshmi Cement corporation is keeping its lips sealed over the entire matter and has refrained from making any formal comment on the matter.

Now, word in the 'relevant circles' is that the mining lease given to the company can be cancelled! There-fore, now all that the people are hoping to know now is whose political patronage has been accorded to JK Lakshmi Cement and who has given JK Lakshmi Cement tax evasion exemption of crores of rupees?

uct was crusher rejects, however, in reality masonry stone was being

provided under the guise of crusher rejects. Apart from this,

i.e. 5.00 lakh tonnes of onry stone was sold by the company, which is much more than the prescribed and allowed quantity of 1.50 lakh tonnes, the cost of which is believed to be more than Rs 50 crore.

RTI ACTIVIST FILES THE COMPLAINT Now, RTI activist Ma-havir Singh Tanwar has given a complaint to Mines Minister Pramod Jain Bhava in this matter. After receiving the complaint, Minister Pramod Bhaya has di-rected ACS Dr Subodh Agarwal to investigate the whole matter and take appropriate action. Similarly, in another

case, even the screen reject by JK Lakshmi Company has been provided to L&T Company for filling work of railway projects. Interestingly, on-the-spot verification has not been done by the department after the issue of overburden. The company was issued reminders by the Mining Directorate from time to time to remove the upper layer of overburden whereas instead of removing the overburden, the dump mineral has been removed in the said lease

environmenta clearance and approved mining plan have also been violated. The said action by company is in contravention of Rule 27(1) (0) of MCR 1960.

As per the curren Rule 12(1)(k) in MCR, 2016, permission or rec ommendation has to be necessarily taken from IBM, for using the law grade minerals, which are not suitable for us as principal minera and can be taken for use as minor mineral Therefore, in this mat ter, a case of irregular ity can be made out against JK Lakshmi.

सबसे पहले फ़र्स्ट इंडिया न्यूज ने उजागर किया इस मामले को

जेके लक्ष्मी सीमेंट की कारगुजारी, 5 लाख टन मेसनेरी स्टोन का अवैध निर्गमन किया

जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड द्वारा खान विभाग की आंख में धूल झोंककर क्रेशर रिजेक्ट की आड़ में 5 लाख टन मेसनेरी स्टोन बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। यही नहीं स्क्रीन रिजेक्ट भी रेलवे के फाइलिंग उपयोग के लिए एल एन्ड टी कम्पनी को निर्गमित किए जाने का मामला सामने आया है। इससे विभाग को तो करोड़ों का नुकसान हुआ ही वरन पर्यावरण संतुलन भी गड़बड़ा गया|

क्या है पूरा मामला?

सिरोही में खनन पट्टा संख्या 10/1999 मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में आवंटित है।सिरोही स्थित खनन पट्टा में लगभग 90 लाख टन क्रेशर रिजेक्ट ओवरबर्डन में पड़ा हुआ है। कम्पनी द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में खनन पट्टा से 1 50 लाख टन खनिज मेसेनरी स्टोन का निर्गमन चेन्नई की मैसर्स हाईटेक रॉक प्रोडक्ट्स एण्ड एग्रीगेट्स लिमिटेड कम्पनी को किया गया। कम्पनी को इसके लिए खनिज अभियन्ता, सिरोही द्वारा



एस.टी.पी. जारी की गई थी। लेकिन शिकायत मिली कि कम्पनी द्वारा उक्त निर्गमन में क्रेशर रिजेक्ट्स बताया गया जबकि वास्तविकता में क्रेशर रिजेक्ट्स की आड में मेसेनरी स्टोन का निर्गमन किया गया। इसके अलावा 1.50 लाख टन की निर्धारित मात्रा से काफी अधिक लगभग तीन गुना 5.00 लाख टन तक मेसेनरी स्टोन का निर्गमन किया गया। जिसकी कीमत 50 करोड़ करोड़ रुपए से ज्यादा मानी जा रही है।

District	तहसील / Tehsil	गाँव / Village	ससरा नंबर / khasara No		खसरा स्थिति / Khasara State	खसरा स्थिति / Khasara Status		खसरा स्वामित्व / Khasara Ownership	
Sirohi	Pindwara Basantgarh		1955,1956,1958,1960,1961,1957,1963		Government Land		Siway Chak(Bilanaam)		
क्षेत्र से / Area From		क्षेत्र तक / Area To	असर / Bearing	द्री / Distance	स्तंभ्र प्रकार / Pillar Type	अक्षांश	/ Latitude	देशान्तर / Longitude	
Frp		A	113-00-00	2977.322	Lease Pillar	24-42	-12.38	73-1-7.93	
A		В	130-00-00	1609.36	Lease Pillar	24-41	-39.34	73-1-52.31	
В		C1	220-00-00	1802.46	Lease Pillar	24-40	-53.93	73-1-11.81	
C1		D1	258-30-00	987.757	Lease Pillar	24-40	-47.08	73-0-37.49	
D1		D	310-00-00	993.83	Lease Pillar	24-41	-7.47	73-0-10.09	
D		A	40-00-00	2574.98	Lease Pillar	24-42	12.35	73-1-7.94	

इसके साथ ही स्क्रीन रिजेक्ट भी एल एण्ड टी कम्पनी को रेल्वे प्रोजेक्ट्स की फिलिंग के काम के लिए किये जाने की जानकारी है। विभाग द्वारा ओवरबर्डन के निर्गमन पश्चात मौके पर वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। कम्पनी को उक्त एसटीपी खनन पट्टा क्षेत्र में ओवरबर्डन की उपरी सतह हटाये जाने के नाम पर निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रो के क्रम में जारी किये गये जबकि उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में ओवरबर्डन नहीं हटाया जाकर पूर्व से डम्प खनिज का निर्गमन किया गया है।

पर्यावरण क्लीयरेंस एवं अनुमोदित खनन योजना का भी उल्लंघन किया गया है। कम्पनी द्वारा उक्त निर्गमन में एमसीआर 1960 के नियम - 27 (1) (0) का उल्लंघन किया गया है। वर्तमान में एमसीआर, 2016 में नियम 12 (1) (k) के अनुसार प्रधान खनिजों के खनन पट्टों से लॉ ग्रेड खनिज जो कि प्रधान खनिज के लिए उपयुक्त नहीं हो एवं अप्रधान खनिज के रूप में काम में लिया जा सकता है, के निर्गमन से पूर्व आई.बी.एम. का परामर्श लिया जाना आवश्यक है। इस मामले में जेके लक्ष्मी द्वारा अनियमितता का मामला बनता है। अब देखना होगा इस मामले में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और एसीएस डॉ सुबोध अग्रवाल कंपनी पर ठोस कार्रवाई कब अमल में लाते हैं ?

जवाब मांगते सवाल?

- वर्ष 2015 से लेकर अब तक कंपनी द्वारा क्रेशर रिजेक्ट्स की आड़ मे कितने लाख टन मेसेनरी स्टोन का निर्गमन किया गया है?
- 2. वर्ष 2015 से लेकर अब तक खनिज अभियन्ता, सिरोही द्वारा कंपनी को कितनी एस.टी.पी. जारी की गई है?
- 3. खान विभाग द्वारा कंपनी के ओवरबर्डन का कब-कब वेरिफिकेशन किया गया?
- 4. क्या क्रेशर रिजेक्ट्स की आड़ मे मेसेनरी स्टोन का निर्गमन करना कानूनन गलत नहीं है?कंपनी की इस हरकत से सरकार को कितने करोड़ के राजस्व का चुना लगाया गया?
- 5. यदि कंपनी द्वारा वास्तव मे राजस्व की चोरी की गयी है तो क्या यह राजस्व चोरी के साथ साथ जीएसटी चोरी का मामला नहीं बनता?क्या डीजीजीआई इस मामले मे संज्ञान लेकर कार्यवाही करेगी?
- 6. विभाग के संज्ञान मे आने के बाद कंपनी द्वारा की गयी कर चोरी की वसूली के लिए क्या सार्थक प्रयास किए गए?
- 7. क्या भारतीय खान ब्यौरो द्वारा इस मामले मे एमसीआर नियम 1960 के तहत जांच कर अग्रीम कार्यवाही की जाएगी?



राजस्थान सरकार



(कार्यालय मंत्री, खान एवं गोपालन विभाग)

विषय : जे के लक्ष्मी सीमेंट द्वारा मेसनरी स्टोन के अवैध निर्गमन करने के मामले की व्यापक जांच करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री ज्ञानेश कुमार, चीफ एडिटर, 'जवाब दो सरकार' जवाबदेही पोर्टल द्वारा माननीय मंत्री महोदय को शिकायती प्रार्थना प्रस्तुत पत्र कर सिरोही जिले में खनन पटटा संख्या10/1990 मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड द्वारा मेसेनरी स्टोन के अवैध निर्गमन करने के मामले की शिकायत करते हुए इसकी व्यापक जांच करवाने एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करवाने का आग्रह किया है।

प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि पत्र में अंकित तथ्यों के संदर्भ में परीक्षणोउपरांत नियमानुसार आवश्यक जांच करवाकर तथ्यात्मक टिप्पणी यथाशीघ्र भिजवाने का श्रम करें ताकि माननीय मंत्री महोदय को अवलोकन कराया जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अरविन्द सारस्वत) विशिष्ट सहायक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग

अशा.टीप कमांक : 221

दिनांक : 28 03 2022

प्रतिलिपि : श्री ज्ञानेश कुमार, चीफ एडिटर, 'जवाब दो सरकार' पता—एस 1, सेकंड फ्लोर, झारखंड अपार्टमेंट, झारखंड महादेव मोड़, जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

विशिष्ट सहायक

ok